



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 18, बुधवार, शाके 1943-मार्च 09, 2022
Phalgun 18, Wednesday, Saka 1943- March 09, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2022

जी.एस.आर.426 :- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 57) की धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.23(2)चि.एवं स्वा.3/2003/पार्ट दिनांक 23.04.2015 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड II के नीचे दी गयी सारणी के विद्यमान क्रम संख्या 12 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात तथा विद्यमान क्रम संख्या 13 एवं उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्न नया क्रम संख्या 12क एवं उसकी प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जावेगी, अर्थात्:-

12क	अराई जिला अजमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
-----	-----------------	---

[संख्या एफ.23(2)चि.एवं स्वा.3/2003/पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार बंसल,

संयुक्त शासन सचिव।

2035

Government Central Press, Jaipur.